

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 73/2019 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री कुलदीप तिवाडी तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक उपखण्ड कार्यालय गुलाबपुरा जिला भीलवाडा
बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाडा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय


दिनांक : 21.8.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के विरुद्ध दिनांक 24.07.2019 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत एक आवेदन दिनांक 18.07.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 18.07.2019 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 21.08.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सूचना का अधि./2019/612 दिनांक 16.09.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में जिला रसद अधिकारी भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को पत्रांक/612 दिनांक 16.09.2019 से सूचना प्रेषित की गयी।

अतएव अपील में अंकित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दी जाने से प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 21.8.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाडा